

थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा हत्या, हत्या कर लूट, लूट, जबरन वसूली, मार-पीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले शातिर गैंग डी-236/25 के 08 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना शेरगढ़ के शातिर हत्यारे गैंग डी-236 के 08 अभियुक्तों 1. सतीश पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ बरेली, 2. देवेन्द्र उर्फ देवा पुत्र रूपचन्द्र नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ बरेली, 3. दीपक पुत्र रामजीत नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ बरेली, 4. रनवीर उर्फ रणवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ बरेली, 5. भूपेन्द्र पुत्र श्यामलाल नि0 ग्राम मधुरकरपुर थाना शेरगढ़ जनपद बरेली, 6. रितिक पुत्र रोशनलाल नि0 ग्राम गुलडिया भवानी थाना शीशगढ़ बरेली 7. बौद्ध शरण उर्फ बुद्धा पुत्र रामबहादुर नि0 ग्राम मौज्जम नंगला थाना नवाबगंज जनपद बरेली व 8. जितेन्द्र उर्फ लुक्का डान पुत्र नन्हुकी नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ जिला बरेली के विरुद्ध मु0अ0सं0 162/2025 धारा 2बी(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इस गिरोह के सरगना सतीश व सदस्यों देवेन्द्र उर्फ देवा, रितिक व जितेन्द्र उर्फ लुक्का डान उपरोक्त ने मिलकर दिनांक 21.07.2024 को लूट करने के उद्देश्य से सज्जाद अहमद पुत्र अब्दुल हमीद नि0 ग्राम सिंगौथी थाना बहेडी जनपद बरेली के सिर में लकड़ी की फंटी मारी थी, सिर में लकड़ी की फंटी से जोरदार चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी, उक्त घटना के संबंध में थाना बहेडी, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 560/24 धारा 103(1) बीएनएस में पंजीकृत हुआ था। विवेचना उपरांत अभियोग में धारा 309(6)/61(2)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आरोप पत्र संख्या 71/25 दिनांक 30.01.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है।

इसी गिरोह के सरगना सतीश व सदस्यों जितेन्द्र उर्फ लुक्का डान, भूपेन्द्र व बौद्ध शरण उर्फ बुद्धा उपरोक्त के द्वारा दिनांक 18.11.2024 की रात्रि में लूट करने के उद्देश्य से अरविन्द पुत्र शंकर लाल नि0 ग्राम खुटिया थाना शेरगढ़ जनपद बरेली के चेहरे एवं सिर पर धारदार हथियार से करीब 13 से 14 वार कर गंभीर रूप से घायल किया गया जिससे वह मरणासन्न हालत में पहुँच गया और अभियुक्तगण अरविन्द उपरोक्त की मो0सा0, मोबाइल व अन्य सामान लूट कर मौके से फरार हो गये, जिसके संबंध में थाना शेरगढ़ जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 328/24 धारा 118(1)/351(3)/109 बीएनएस में पंजीकृत हुआ था। विवेचना उपरांत अभियोग में धारा 118(1)/351(3)/109 बीएनएस को धारा 309(6)/317(2) बीएनएस में तरमीम कर आरोप पत्र संख्या 40/25 दिनांक 13.02.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है।

इसी गिरोह के सरगना सतीश व सदस्यों रनवीर उर्फ रणवीर, देवेन्द्र उर्फ देवा व जितेन्द्र उर्फ लुक्का डान के द्वारा दिनांक 19/20-12-2024 की रात्रि में सूरजपाल पुत्र बनवारी लाल नि0 ग्राम केशौपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली की रात्रि में लूट करने के इरादे से सिर व चेहरे पर धारदार हथियार से 07 से 08 वार कर गंभीर रूप से घायल कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी और मृतक सूरजपाल उपरोक्त की मो0सा0, मोबाइल फोन, पर्स आदि अन्य सामान लूट कर मौके से फरार हो गये थे, जिसके संबंध में थाना शेरगढ़, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 361/24 धारा 103(1) बीएनएस में पंजीकृत हुआ था। विवेचना उपरांत अभियोग में धारा 309(6)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आरोप पत्र संख्या 39/2025 दिनांक 13.02.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है।

दिनांक 25-12-2025 को दौरान पुलिस मुठभेड आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा किये गये फायर में अभियुक्त रितिक व जितेन्द्र उर्फ लुक्का डान पैर में गोली लगने से घायल हो गये थे तथा अभियुक्तगण रनवीर उर्फ रणवीर, देवेन्द्र उर्फ देवा, भूपेन्द्र, दीपक, रितिक, दीपक व जितेन्द्र उर्फ लुक्का डान उपरोक्त को मौके से ही गिरफ्तार किया गया था और गैंग का सरगना सतीश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा था। उक्त घटना के संबंध में थाना शेरगढ़, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 363/24 धारा 109,3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट (पुलिस मुठभेड) पंजीकृत हुआ था। विवेचना उपरांत अभियोग में आरोप पत्र संख्या 42/25 दिनांक 18.02.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है। **गिरफ्तारी से शेष अभियुक्त सतीश एवं बुद्धशरण उर्फ बुद्धा पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।** दिनांक 28.12.2024 को दौरान पुलिस मुठभेड आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा किये गये फायर में अभियुक्त सतीश उपरोक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गया था जिसको मौके से ही गिरफ्तार किया गया था उक्त घटना के संबंध में थाना बहेडी, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 1175/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट (पुलिस मुठभेड) में पंजीकृत हुआ था। विवेचना उपरांत अभियोग में आरोप पत्र संख्या 195/25 दिनांक 23.03.2025 को

माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है। शेष अभियुक्त बुद्धशरण उर्फ बुद्धा को दिनांक 11-01-2025 को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये थे। अभियुक्त से की गयी बरामदगी के संबंध में थाना शेरगढ़, जनपद बरेली पर मु0अ0स0 12/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत हुआ था। विवेचना उपरांत अभियोग में आरोप पत्र संख्या 51/25 दिनांक 26.02.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है।

उक्त अभियोगों में ही सभी अभियुक्तगण वर्तमान समय में जेल में निरूद्ध है। अभियुक्तगण के विरूद्ध इस कार्यवाही से पुलिस को अपराध नियंत्रण में काफी सहयोग मिलेगा। सभी अभियुक्तों की सम्पत्ति विवेचना के दौरान चिन्हित कर उन्हें धारा 14(1) के तहत जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

1. रनवीर पुत्र निर्मल सिंह उर्फ बिट्टु नि0 ग्राम मिर्जापुर रंजीत थाना बहेडी जिला बरेली।

- मु0अ0स0 363/24 धारा 109,3(5) बीएनएस व 4/25 A.ACT पुलिस मुठभेड थाना शेरगढ़ जिला बरेली।
- मु0अ0स0 361/24 धारा 103(1)/309(6)/317(2) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
- मु0अ0स0 164/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना देवरनिया जनपद बरेली।

2. देवेन्द्र उर्फ देवा पुत्र रूपचन्द नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ जिला बरेली।

- मु0अ0स0 363/24 धारा 109,3(5) बीएनएस व 4/25 A.ACT पुलिस मुठभेड थाना शेरगढ़ जिला बरेली।
- मु0अ0स0 361/24 धारा 103(1)/309(6)/317(2) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
- मु0अ0स0 560/24 धारा 103(1)/309(6)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना बहेडी जनपद बरेली।

3. भूपेन्द्र पुत्र श्यामलाल नि0 ग्राम मधुकरपुर थाना शेरगढ़ जिला बरेली।

- मु0अ0स0 363/24 धारा 109,3(5) बीएनएस व 4/25 A.ACT पुलिस मुठभेड थाना शेरगढ़ जिला बरेली।
- मु0अ0स0 328/24 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।

4. दीपक पुत्र रामजीत नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

- मु0अ0स0 363/24 धारा 109,3(5) बीएनएस व 4/25 A.ACT पुलिस मुठभेड थाना शेरगढ़ जिला बरेली।
- मु0अ0स0 560/24 धारा 103(1)/309(6)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना बहेडी जनपद बरेली।

5. रितिक पुत्र रोशन लाल नि0 ग्राम गुलडिया भवानी थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

- मु0अ0स0 363/24 धारा 109,3(5) बीएनएस व 4/25 A.ACT पुलिस मुठभेड थाना शेरगढ़ जिला बरेली।
- मु0अ0स0 560/24 धारा 103(1)/309(6)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना बहेडी जनपद बरेली।

6. जितेन्द्र उर्फ लुक्का डान पुत्र नन्हुकी नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ जिला बरेली।

- मु0अ0स0 363/24 धारा 109,3(5) बीएनएस व 4/25 A.ACT पुलिस मुठभेड थाना शेरगढ़ जिला बरेली।
- मु0अ0स0 361/24 धारा 103(1)/309(6)/317(2) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
- मु0अ0स0 328/24 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
- मु0अ0स0 560/24 धारा 103(1)/309(6)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना बहेडी जनपद बरेली।
- मु0अ0स0 179/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

7. सतीश पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

- मु0अ0स0 363/24 धारा 109,3(5) बीएनएस व 4/25 A.ACT पुलिस मुठभेड थाना शेरगढ़ जिला बरेली।
- मु0अ0स0 361/24 धारा 103(1)/309(6)/317(2) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
- मु0अ0स0 328/24 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
- मु0अ0स0 560/24 धारा 103(1)/309(6)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना बहेडी जनपद बरेली।
- मु0अ0सं0 1175/24 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना बहेडी जनपद बरेली।

8. बौद्ध शरण उर्फ बुद्धा पुत्र रामबहादुर नि0 ग्राम मौज्जम नंगला थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

- मु0अ0स0 328/24 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
- मु0अ0स0 12/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।